A.E (m / A.E (Electro / A.E (Elct

रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/95

REGISTERED NO. DL-33001/95

Received from (G.D.) Branch

3/2/95

H.C. (G.D. Unit)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14, 1995/पौष 24, 1916
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14, 1995/PAUSA 24, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

COMPLETED पूरा कर दिया गया है।

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1994

सा.का.नि. 11.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) नियम, 1961 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन नियम, 1994 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1961 के नियम 4, उप-नियम (2) के खण्ड 3(iii) के लिये निम्नलिखित खण्ड प्रस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(iii) विदेश मंत्रालय में प्रशासन के प्रभारी भारत सरकार के संयुक्त सचिव होंगे।"

[सं. 36/पी.ए.-II/94]

सैयद अकबरुद्दीन, उप सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th November, 1994

G.S.R. 11.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961 namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Amendment rules, 1994.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961 in

2981 GI/94—1

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

11	12
	(iii) With eight years regular service in posts in the pay scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) possessing five years experience in administration, establishment and accounts matters. 2. Departmental Administrative Officers Headquarters) in pay scale of Rs. 2000-3500 with eight years regular service in the grade will also be considered alongwith deputationists and in case he is selected for appointment the post shall be deemed to have been filled up by promotion.

Note : 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion., shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible foı consideration for appoint ment by promotion.

Note: 2. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age, limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 50 years, as on the closing date of receipt of applications.

[No. A-12018/2/91-Admn/DEP/DS/(PPC)]
MRS. P. MOHON, Dy. Secy.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन खंड)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1994

सा.का.नि. 14,—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत विभाग (समूह "क" और समूह "ख" राजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1977 को जहां तक उसका संबंध समूह "ख" राजपत्रित तकनीकी पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत विभाग में समूह "ख" राजपत्रित तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत विभाग (समूह "ख" तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक इंजीनियर (यांत्रिक) कर्मशाला	9* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-3200-100-3500-रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।
11	12
प्रोन्नति	प्रोन्नति:— (क) ऐसा फोरमैन (डीजल तकनीशियन) (वेतनमान 1600-2660 रुपये) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या जिसने फोरमैन (डीजल तकनीशियन) और तकनीशियन (डीजल) के रूप में कुल मिलाकर आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

Attested
3rd 2U 2107

Asstt. ([illegible]
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi

	12
	(ख) ऐसा कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक) (वेतनमान 1400-2300 रु.) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (ग) ऐसा तकनीशियन (साधारण) (वेतनमान 1400-2300 रुपये) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :—उपर्युक्त अधिकारियों की दशा में प्रोन्नति के लिये पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा सुसंगत श्रेणी/पद पर विहित अर्हक पात्रता सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जायेगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिये) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. संयुक्त सचिव, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय—अध्यक्ष। 2. महानिदेशक, प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत—सदस्य। 3. निदेशक (सिविल), प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत विभाग—सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
सहायक इंजीनियर (सिविल)	11* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रुपये	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति व्यक्तियों के लिये दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति	प्रोन्नति :— ऐसा कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) (वेतनमान 1400-2300 रुपये) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त सचिव, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय—अध्यक्ष 2. महानिदेशक, प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत—सदस्य 3. निदेशक (सिविल) प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत विभाग—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

Attested

20/5/07

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

1	2	3	4	5	6	7
3. सहायक इंजीनियर (विद्युत)	1* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300 द. रो. 75-3200 100-3500 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति	प्रोन्नति : (क) ऐसा कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) (वेतनमान 1400-2300 रुपये) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) ऐसा तकनीशियन (विद्युत) (वेतनमान 1400-2300 रुपये) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :—उपर्युक्त अधिकारियों की दशा में प्रोन्नति के लिये पात्रता सूची, इन अधिकारियों द्वारा सुसंगत श्रेणी/पद पर विहित अर्हक पात्रता सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी।

13	14
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिये) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. संयुक्त सचिव, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय—अध्यक्ष 2. महानिदेशक, प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत—सदस्य 3. निदेशक (सिविल) प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत विभाग—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
4. सहायक इंजीनियर (इलैक्ट्रोनिकी)	21* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द. रो. 75-3200-100-3500 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

3/3/07

Asstt. Controller (Business)
... India
... Publication
Civil Lines, Delhi-54

11	12
प्रोन्नति	प्रोन्नति : (क) ऐसा हैड लाइटकीपर (ज्येष्ठ वेतनमान) (1640—2900 रु.) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या जिसने हैड लाइटकीपर ज्येष्ठ वेतनमान और असिस्टेंट लाइटकीपर ज्येष्ठ वेतनमान (वेतनमान 1400-2300 रु.) के रूप में कुल मिलाकर आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) ऐसा ज्येष्ठ रेडियो तकनीशियन (वेतनमान 1640—2900 रु.) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या जिसने ज्येष्ठ रेडियो तकनीशियन और रेडियो तकनीशियन (वेतनमान 1400—2300 रु.) के रूप में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (ग) ऐसा तकनीशियन (इलैक्ट्रोनिकी) (वेतनमान 1400-2300 रु.) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : उपर्युक्त अधिकारियों की दशा में प्रोन्नति के लिये पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा सुसंगत श्रेणी/पद पर विहित अर्हक पात्रता सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जायेगी।

13	14
समूह ख सचिव विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. संयुक्त सचिव, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय—अध्यक्ष 2. महानिदेशक, प्रकाश स्तंभ और प्रकाशपोत—सदस्य 3. निदेशक (सिविल), प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत विभाग—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[एस.एल.एस. सं. 14/39/76-प्रशा.]

मुंशी राम, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 26th December, 1994

G.S.R. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Recruitment to Group 'A' and Group 'B' Gazetted Technical Posts) Rules, 1977, in so far as they relate to Group 'B' Gazetted Technical Post except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' Gazetted Technical Posts in the Department of Lighthouses and Lightships, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships (Group 'B' Technical Posts) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Attested
30/3/07
Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other Concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Assistant Engineer (Mechanical/ Workshop).	9* (1993) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Services Group B, Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Selection	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for promotees.	Promotion.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion (a) Foreman (Diesel Technician) (Pay scale Rs. 1600-2660) with 5 years regular service in the grade or with 8 years combined or regular service as Foreman (Diesel Technician) and Technician (Diesel). (b) Junior Engineer (Mechanical) (Pay scale Rs. 1400-2300) with 8 years regular service in the grade.	Group B Departmental Promotion Committee (For promotion) Consisting of:— 1. Joint Secretary Ministry of Surface Transport—Chairman. 2. Director General of Lighthouses and Lightships—Member. 3. Director (Civil), Department of Lighthouses and Lightships—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Attested

10/3/07

Asstt. [illegible]

Govt. of India

[illegible]

12	13	14
(c) Technician (General) (Pay scale Rs. 1400-2300) with 8 years regular service in the grade. Note:- The eligibility list for promotion in case of above officers shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying eligibility service in the relevant grade/post.		

1	2	3	4	5	6
2. Assistant Engineer (Civil).	11* (1993) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group B, Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Selection	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for promotees.	Promotion

12	13	14
Promotion Junior Engineer (Civil) (Pay scale Rs. 1400-2300) with 8 years regular service in the grade.	Group B Departmental Promotion Committee 1. Joint Secretary, Ministry of Surface Transport—Chairman. 2. Director General of Light-Houses and Lightships—Member. 3. Director (Civil), Department of Lighthouses and Lightships—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3	4	5	6
3. Assistant Engineer (Electrical)	4* (1993) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group B, Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Selection	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for promotees.	Promotion

Attested

30/8/07

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. **Delhi-54**

12	13	14
Promotion (a) Junior Engineer (Electrical) (Pay scale Rs. 1400-2300) with 8 years regular service in the grade. (b) Technician (Electrical) (Pay Scale Rs. 1400-2300) with 8 years' regular service in the grade. Note:- The eligibility list for promotion in case of above officers shall be prepared with reference to the date of completion by these officers of the prescribed qualifying eligibility service in the relevant grade/post.	Group B Departmental Promotion Committee. For promotion consisting of:- 1. Joint Secretary, Ministry of Surface Transport—Chairman. 2. Director General of Lighthouses and Lightships—Member. 3. Director (Civil), Department of Lighthouses and Lightships—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3	4	5	6
4. Assistant Engineer (Electronics)	21* (1993) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group B Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300 EB-75-3200-100-3500.	Selection	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for promotees.	Promotion

12	13	14
Promotion (a) Head Lightkeeper (Senior Scale) (Rs. 1640-2900) with 3 years regular service in the grade or with 8 years' combined regular service as Head lightkeeper Senior Scale and Assistant Lightkeeper Senior Scale (Pay Scale Rs. 1400-2300). (b) Senior Radio Technician (Pay Scale Rs. 1640-2900) with 3 years regular service in the grade or with 8 years combined regular service as Senior Radio Technician and/Radio Technician (Pay Scale Rs. 1400-2300). (c) Technician (Electronics) (Pay Scale Rs. 1400-2300) with 8 years regular service in the grade. Note:- The eligibility list for promotion in case of above officers shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying eligibility service in the relevant grade/post.	Group B Departmental Promotion Committee 1. Joint Secretary, Ministry of Surface Transport—Chairman 2. Director General of Lighthouses and Lightships—Member. a. Director (Civil), Department of Lighthouses and Lightships—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[SFS. No. 14/39/76-Admn.]
MUNSHI RAM, Under Secy.

Attested
30/8/07
Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi 54